न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 28/2016 प्रा.पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970

1. सीताराम पुत्र दल्ला जाति मीना निवासी रामथला तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
..प्रार्थी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र रामनाथ जाति खाती निवासी कोल्यावास (फोत)
   1.1 हनुमान पुत्र राधेश्याम
   1.2 अशोक पुत्र राधेश्याम
   1.3 लक्ष्मण पुत्र राधेश्याम
   1.4 लाली पत्नि राधेश्याम
   समस्त जाति खाती निवासी कोल्यावास तहसील नांगल राजावतान
1. भू आवंटन कमेटी जरिये अध्यक्ष उपखंड अधिकारी दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा
3. रामप्यारी पत्नि फैलीराम जाति मीना निवासी रामथला तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राज0 भू—राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 वास्ते निरस्त करने आवंटन दिनांक 18.5.1989 भूमि खसरा नंबर 411, 412 कुल रकबा 0.54 है. वाके ग्राम रामथला

उपस्थित—1. श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1.1 से 1.4 व 4 की ओर ओर से।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 18.06.2024

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18.5.1989 को ग्राम रामथला तहसील नांगल राजावतान के खसरा नंबर 411, 412 रकबा 0.54है. भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 को कर दिया। प्रार्थी द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू—आवंटन नियम—1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।
2. प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण को बार—2 आवाज दिलवाने पर भी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बहस मानकर सुनवाई की गई। इससे पूर्व दिनांक 23.1.2024 व 19.2.2024 को भी अधिवक्ता प्रार्थी को बहस हेतु अवसर दिये जाने के वाबजूद भी उपस्थित नही हुए।
4. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी सं0 1 को ग्राम रामथला तहसील नांगल राजावतान में स्थित भूमि खसरा नंबर 411 रकबा 0.29है. खसरा नंबर 412 रकबा 0.25है. कुल रकबा 0.54है. का सरासर गलत रूप से आवंटन दिनांक 18.5.1989 को कर दिया परन्तु इस भूमि पर आज तक अप्रार्थी नं01 का कब्जा नहीं हुआ और ना ही उसने भूमि काश्त की एवं न अप्रार्थी न.1 का उक्त भूमि पर कब्जा आवंटन से पूर्व व आवंटन के समय था। उक्त आवंटित

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:40:46 IST
Reason: SelfAttested

Devend
जिला कलेक्टर, दौसा

भूमि पर आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थी का आज रोज तक कब्जा लगातार चला आ रहा है और लगातार काश्त करता चला आ रहा है जिसका प्रमाण खसरा परिवर्तनशील सं0 2029 की नकल है जिसमें प्रार्थी का कब्जा भूमि खसरा नंबर 114/144 दर्ज है तथा इस भूमि के साबिक नंबर से बदल कर खसरा नंबर 411, 412 वर्तमान में अंकित कर दिये है जो मिलान क्षेत्रफल में दर्ज है। इससे सिद्ध होता है कि प्रार्थी का कब्जा इस भूमि पर उक्त भूमि को आवंटन कर दिये जाने से पूर्व से ही लगातार आज तक कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी आवंटी ने आज तक भी आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है। कानून एवं नियमों के तहत आवंटन के बाद प्रथम वर्ष में आधी भूमि पर व द्वितीय वर्ष में पूरी भूमि को काश्त करना अनिवार्य है परन्तु अप्रार्थी ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की और उसका कोई कब्जा आवंटन से लेकर आज रोज तक नहीं रहा है। आवंटन से पूर्व व आवंटन के समय आवंटित भूमि की मौके व कब्जे की कोई जांच नहीं की गई एवं ना ही कभी पटवारी हल्का ने आवंटन से पूर्व व आवंटन के समय आवंटित भूमि का मौका देखा गया। आवंटी ने तथ्यों को छुपाकर फ्रॉड एवं मिस रिप्रजेन्टेशन करके यह आवंटन कराया है जो सरसरी तौर पर खारिज योग्य है। अप्रार्थी आवंटी दीगर गॉव वाके ग्राम कोल्यावास का रहने वाला है जबकि भूमि ग्राम रामथला में स्थित है जबकि प्रार्थी ग्राम रामथला का ही रहने वाला है। कानून जिस ग्राम में भूमि स्थित है उसी ग्राम के व्यक्ति को आवंटन किया जाना चाहिए इसलिए भी अप्रार्थी नं.1 को किया गया भूमि आवंटन निरस्त योग्य है। भूमि आवंटन हेतु जो आवेदन का प्रारूप धारा 101 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत निर्धारित है जिसके चरण नं0 2 में अपने परिवार के व्यक्तियों के पास स्थित खातेदारी भूमि का विवरण देना आवश्यक है। अप्रार्थी पं. 1 के पास पहले से ही काश्त की भूमि है परन्तु उसने इस तथ्य को छिपाते हुए फ्रॉड एवं मिस रिप्रजेन्टेशन करके आवंटन कराया है जो निरस्तनीय है। अप्रार्थी आवंटी कृषि कार्य भी नहीं करता है इसलिए न तो भूमिहीन कृषक है और ना ही भूमि आवंटन कराने का पात्र है। यदि आवंटी कायत करता तो अवश्य ही भूमि काश्त करता परन्तु उसने आवंटन के पश्चात लगभग 40 वर्षों से आज तक भी भूमि पर काश्त नहीं की है। अप्रार्थी नं0 1 को आज तक भी भूमि पर कब्जा नहीं किया। उसने कब्जा दिये जाने की झूंठी रिपोर्ट बनवाई है। इसलिए आवंटनशुदा भूमि पर आवंटी का कब्जा होने के कारण भी उसका आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी द्वारा एक सुपुर्दगीनामा इस आशय का गलत लिख दिया कि उसको मौके पर पटवारी हल्का द्वारा नापकर दिनांक 11.6.1989 को भूमि पर कब्जा संभाल लिया है जबकि न तो पटवारी द्वारा उसको आवंटनशुदा भूमि का कब्जा दिया गया और ना ही आवंटी ने कब्जा संभाला है। आवंटी ने आवंटन फार्म भी अपूर्ण भरा गया है। उसके पास पहले से भूमि है उसका विवरण नहीं दिया गया है। आवंटन फार्म में भी काट छांट कर रखी है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में कॉलम नं0 6 में अप्रार्थी नं. 1 का भूमि पर कोई कब्जा नहीं होना अंकित किया है जिससे भी यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी नं0 1 का भूमि पर कोई कब्जा नहीं था बल्कि प्रार्थी का ही कब्जा था। इस संबंध में पटवारी हल्का ने मौके पर कोई जांच नहीं की। यदि मौके पर जांच की जाती तो प्रार्थी का ही इस आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा पाया जाता। प्रार्थी का आवंटित भूमि पर आवंटन [illegible] रहा है। अप्रार्थी नं0 1 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत करके आवंटन किये जा[illegible] रिपोर्ट व सिफारिश करवाई इसलिए आवंटन निरस्त योग्य है। आवं[illegible] नहीं है। जिस कारण भी आवंटन निरस्त योग्य है। भूमि [illegible] भूमि की कोई सूची भी नहीं बनाई ना ही आवंटन से पूर्व नियमानुसार कोई उद्घोषणा जा[illegible] की गई। अप्रार्थी आवंटी का भूमि पर कोई कब्जा नहीं होते हुए भी उसके नाम गैर खातेदारी का इन्द्राज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का आज दिनांक तक आवंटनशुदा भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। आवंटन की सारी कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:40:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

दिखावटी कागज है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि आवंटन केवल खाली भूमि का ही किया जा सकता है। अगर भूमि पर किसी अतिक्रमी का कब्जा है तो उस भूमि का आवंटन अन्य व्यक्तियों को नहीं किया जा सकता है आवंटन नियम के नियम 20 में यह प्रावधान कर दिया गया है कि ऐसी भूमि का आवंटन काबिज व्यक्ति के पक्ष में ही किया जावे। इस कारण भी आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन अधिकारी का भी यह फर्ज है कि यदि कमेटी के सदस्य सरपंच आदि किसी आवंटन करने की गलत सिफारिश भी कर दे तो उस सिफारिश मात्र के आधार पर ही आवंटन नहीं कर दिया जाना चाहिए बल्कि आवंटन अधिकारी को जांच करना आवश्यक है कि वह प्रार्थी आवंटन का पात्र भी है या नहीं। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी जांच किये बगैर विधि विरूद्ध आवंटन की स्वीकृति दी दी गई। आवंटन की समस्त कार्यवाही नियमों के विरूद्ध हुई है। न तो आवंटन के संबंध में कोई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई और ना ही आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु इश्तेहार ही जारी किया गया न ही कोई विधिवत जांच की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी नं01 के हक में किया गया आवंटन दिनांक 18.5.1989 को निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि आवंटी राधेश्याम पुत्र रामनाथ जाति जांगिड निवासी कोल्यावास को आवंटन सलाहकार समिति कैंप प्यारीवास में दिनांक 18.5.1989 को ग्राम रामथला स्थित भूमि खसरा नंबर 411 रकबा 0.29है. व खसरा नंबर 412 रकबा 0.25है. कुल किता 2 रकबा 0.54है. भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटी भूमिहान था, उसके खाते में कोई भूमि नहीं थी। आवंटी राधेश्याम ने विधिवत रूप से भूमि आवंटन किये जाने हेतु फार्म भरकर प्रस्तुत किया था जिस पर पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा जांच की गई है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी आवंटी को नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया है जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

6. अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1.1 से 1.4 व 4 ने बहस में दलील दी कि आवंटी राधेश्याम पुत्र रामनाथ जांगिड के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति कैंप प्यारीवास में दिनांक 18.5.1989 को ग्राम रामथला स्थित भूमि खसरा नंबर 411 रकबा 0.29है. व खसरा नंबर 412 रकबा 0.25है. कुल किता 2 रकबा 0.54है. भूमि का आवंटन किया गया था। भूमि आवंटन होने पर भूमि का पटवारी हल्का के द्वारा आवंटी को कब्जा संभलाया गया। भूमि आवंटन होने पर भूमि की गैर खातेदारी आवंटी के पक्ष में दर्ज हुई। आवंटी का भूमि पर निरन्तर एवं निर्बाध कब्जा होने तथा आवंटन की शर्तों की पालना की जाने पर तहसीलदार द्वारा विधिवत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। प्रार्थी का यह कथन सरासर गलत है कि प्रश्नगत भूमि का आवंटन होने से पूर्व भूमि खाली नहीं थी या भूमि पर प्रार्थी का कब्जा रहा हो। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम में प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटी का भूमि आवंटन से पूर्व भी कब्जा था एव बाद में भी निरन्तर निर्बाध कब्जा रहा था। आवंटी आवंटित भूमि पर काश्त कर रहा था। आवंटी भूमिहीन था अर्थात आवंटी के खाते में पूर्व में कोई भूमि नहीं थी। आवंटी के द्वारा खातेदारी मिलने के पश्चात भूमि का बेचान अप्रार्थी सं0 4 के पक्ष में किया जाकर विक्रय पत्र तस्दीक करा दिया है। वर्तमान में भूमि की खातेदारी अप्रार्थी सं0 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी सं0 4 ने कब्जे के आधार पर भूमि पर बैंक से ऋण भी प्राप्त कर रखा है। बैंक के द्वारा भूमि पर के0सी0सी0 ऋण दिये जाने से पूर्व कब्जे की जांच की जाती है एवं जिन्स दर्ज होने पर ही फसली ऋण दिया जाता है। प्रार्थी द्वारा गलत आधारों पर 27 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:40.46 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, दौसा

बाद आवंटन आदेश को चुनौती दी गई है। आवंटन विधिवत रूप से एवं बिना फ्रॉड एवं मिस रिप्रजेन्टेशन के हुआ है। कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत 14(4) का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

7. हमने अधिवक्ता अप्रार्थी व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली व मूल आवंटन अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप प्यारीवास द्वारा दिनांक 18.5.1989 को अप्रार्थी सं0 1 को ग्राम रामथला तहसील नांगल राजावतान में स्थित भूमि खसरा नंबर 411 रकबा 0.29है. खसरानंबर 412 रकबा 0.25है. कुल रकबा 0.54है0 का आवंटन किया गया था।

8. इस संबंध में आवंटन कमेटी की सिफारिश अवलोकनीय है

> " आज दिनांक 18/5/1989 को मुकाम प्यारीवास में आवंटन कमेटी की बैठक में प्रार्थी राधेश्याम पुत्र रामनाथ उम्र जाति जांगिड ब्राहमण निवासी कोल्यावास को ग्राम रामथला में भूमि खसरा नंबर 412/0.25 411/0.29 रकबा कुल 0.54 को आवंटन करने की सिफारिश की जाती है।"

उक्त सिफारिश को तत्समय विधायक, प्रधान, सरपंच, एवं सहवृत्त सदस्य द्वारा अनुमोदित किया गया जिसके उपरांत उपखंड अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश अनुसार निम्न आदेश प्रदान किये।

> " श्री राधेश्याम पुत्र रामनाथ जाति जांगिड ब्राहमण निवासी कोल्यावास को ग्रामं रामथला की आराजी खसरा नंबर 412/0.25 411/0.29 कुल 0.54 किस्म लगान दर आवंटन किया जाता है"

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसके उपरांत उपखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 10.7.89 को राधेश्याम पुत्र रामनाथ के पक्ष में सनद पट्टा जारी किया गया है।

आवंटन कमेटी द्वारा अपनाई गई संपूर्ण प्रकिया विधिसम्मत प्रतीत होती है।

9. आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र अप्रार्थी सं0 4 के पक्ष में पंजीबद्ध करा दिया गया। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं0 4 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थी का कब्जा लगातार चला आ रहा होने का पत्रावली में कोई प्रमाण नहीं है। प्रार्थी का यह कथन कि भूमि आवंटन के फार्म में काट छांट की गई है भी गलत सिद्ध होता है। मूल आवंटन पत्रावली में आवंटन कमेटी की सिफारिश पर किसी प्रकार की कोई काट छांट ज्ञात नहीं होती है। पत्रावली में खसरा परिवर्तनशील सं0 2029 की नकल संलग्न नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आवंटित भूमि पर आवंटन से पूर्व प्रार्थी का कब्जा है।साथ ही पत्रावली में मिलान क्षेत्रफल भी शामिल नहीं है जिससे यह ज्ञात हो कि भूमि के गत नंबर 114/144 हा`तथा इस भूमि के साबिक नंबर से बदलकर खसरानंबर 411, 412 वर्तमान में अंकित हुए हो। इसके अतिरिक्त पत्रावली में ऐसा कोई प्रमाण या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी राधेश्याम द्वारा आवंटन की [illegible] पालना नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कियेजाने का कोई उचित [illegible] ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 [illegible] किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:40:46 IST
Reason: SelfAttested

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 18.5.1989 के द्वारा ग्राम रामथला

जिला कलेक्टर, दौसा

स्थित आराजी खसरा नंबर 411 रकबा 0.29 है. खसरा नंबर 412 रकबा 0.25है. कुल रकबा 0.54 है0 अप्रार्थी राधेश्याम के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 18 जून, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील 30 दिवस के भीतर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:40:46 IST
Reason: SelfAttested